16

पंजीकृत/ई–मेल

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench
Received
26 JUN 2024
Dairy No. 2814
Signature

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान खण्ड पीठ,
नई दिल्ली।

संख्या–303(1)/29–ए0आर0ए0–मा0रा0ह0अधि0/2024 दिनांक– 19 /06/2024

विषय– आवेदन संख्या–55/2024 श्री गोपाल चन्द्र वनवासी, निवासी ग्राम रीठ, पो0 कन्धार तहसील गरूड़ जनपद बागेश्वर बनाम् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इनके आवेदन संख्या–55/2024 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक–18.01.2024 को पारित आदेश में जनपद बागेश्वर अंतर्गत नगर पालिका परिषद बागेश्वर के क्षेत्र में एकत्र किया गया कूड़ा खुले तौर पर फैलाये जाने व कचरा जलाने से जहरीली गैसों से हवा प्रदूषित होने आदि व सरयू नदी में अतिक्रमण कर नरेन्द्रा पैलेस होटल से नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत शिकायती पत्र के सम्बन्ध में अनुपालन किये जाने के निर्देश हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर से आख्या मांगी गयी। प्राप्त आख्या में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या–542/रा0अ0–मा0रा0ह0अधि0 /2023–24 दिनांक–30 मई, 2024 से अवगत कराया गया है कि उनकेद्वारा दिनांक–07.02.2024 को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बागेश्वर, अवर अभियन्ता, सिंचाई खण्ड बागेश्वर, तहसीलदार, बागेश्वर व क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी के साथ होटल नरेन्द्रा पैलेस से लगी हुयी सरयू नदी एवं नगर पालिका क्षेत्र, बागेश्वर के संयुक्त निरीक्षण किया गया और पाया गया कि:–

01. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बागेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–2458/2023–24 दिनांक–11.03.2024 से अवगत कराया गया है कि सरयू नदी के किनारे स्थित होटल नरेन्द्रा पैलेस द्वारा सरयू नदी में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं किया जा रहा है और न ही होटल नरेन्द्रा पैलेस द्वारा नदी के प्रवाह को मोड़ा गया है।

02. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–238/सिं0ख0बा0/सी–7/बागेश्वर दिनांक–18.03.2024 से अवगत कराया गया है कि सरयू नदी के किनारे स्थित होटल नरेन्द्रा पैलेस के निर्माण के कारण नदी का बहाव (नैचुरल फलो) किसी भी प्रकार से वर्तमान में प्रभावित न्हीं हो रहा है।

03. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर द्वारा कार्यालय पत्रांक–बायो0 मेडि0 वेस्ट/2023–24/8030 दिनांक–13.03.2024 से अवगत कराया गया है कि जिला चिकित्सालय द्वारा वर्तमान में बायोमेडिकल कूड़े के निस्तारण हेतु चिकित्सालय परिसर में 02 डीप बरियल पिट बनाये गये हैं जिनमें चिकित्सालय से निकलने वाले जैविक कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन किया जाता है। श्यामलाल साह जिला चिकित्सालय, बागेश्वर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में पंजीकृत है। वर्तमान में इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया गतिमान है।

551/24/Jud
01/07/24.

26-6-2024

OA 55/2024
Pl put up

(17)

04. तहसीलदार, बागेश्वर के माध्यम से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि ग्राम कठायतबाड़ा क्षेत्र तल्ला कत्यूर तहसील बागेश्वर के गैर ज0वि0ख0खा0संख्या–69 श्रेणी 10(4) रौखड़ के गाटा संख्या–3615 रकवा 0.655 है0 भूमि मध्ये 252 वर्गमीटर में व्यवसायिक दुकान दर का निर्माण किया गया है। उक्त भूमि में नरेन्द्र सिंह खेतवाल द्वारा होटल नरेन्द्रा पैलेस व व्यवसायिक दुकानों का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार की भूमि पर अवैध रूप से दुकान व होटल का निर्माण किये जाने पर सम्बन्धित का चालान उत्तराखण्ड सार्वजनिक भू–गृहादि अधिनियम के अन्तर्गत किया गया। वर्तमान में उक्त चालानी कार्यवाही विहित प्राधिकारी/परगनाधिकारी, बागेश्वर के न्यायालय में विचाराधीन है।

05. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–UKPCB/ROH/रिट/24/3192–1409 दिनांक–13.03.2024 के अनुसार दिनांक–07.02.2024 को हुए संयुक्त निरीक्षण से पूर्व दिनांक–28.03.2022 को नगर पालिका परिषद् क्षेत्र बागेश्वर को निरीक्षण किया गया। नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 का अनुपालन न किये जाने की दशा में मा0 हरित अधिकरण में योजित पूर्व आदेश मूल आवेदन संख्या–606/2018 के क्रम में दिनांक–01.04.2020 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है। होटल नरेन्द्रा पैलेस, बागेश्वर को जल प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं वायु जल प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत वांछित प्रपत्रों के साथ संचालनार्थ सहमति हेतु आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक–27.01.2024 को पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः उपर्युक्तानुसार प्राप्त अनुपालन आख्या की प्रति सानुरोध सेवा में सादर अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रेषित है।

<u>संलग्न–यथोक्त</u>

भवदीया,

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

GA/0 - 30561

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

(18)

संख्या– 542 / रा0अ0–मा0रा0ह0अधि0 / 2023–24 दिनांक– 30 मई, 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– मूल आवेदन पत्र संख्या–55 / 2024, श्री गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–286 / 29–ए0आर0ए0–मा0रा0ह0अधि0 / 2024 दिनांक–30 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान खण्ड पीठ, नई दिल्ली में दर्ज मूल आवेदन संख्या–55 / 2024 श्री गोपाल चन्द्र वनवासी, निवासी ग्राम रीठा, पोस्ट कंधार तहसील गरूड़, जनपद, बागेश्वर के शिकायती पत्र कि, जनपद बागेश्वर अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर के क्षेत्र में एकत्र किया गया कूड़ा खुले तौर पर फैलाया जाने, कचरा जलाने से जिसमें बायोमेडिकल कचरा भी शामिल है, जिसमें जहरीली गैसें हवा को प्रदूषित कर रही है। स्थानीय निवासियों और आसपास के जानवरों को प्रभावित कर रही है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खतरा पैदा कर रही है। इसके अतिरिक्त सरयू नदी में अतिकृण कर नरेन्द्रा पैलेस नाम से एक व्यवसायिक इमारत का निर्माण होटल के रूप में किये गये जिसमें नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है के सम्बन्ध में नियमानुसार अनुपालन की कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान खण्ड पीठ, नई दिल्ली में दर्ज मूल आवेदन संख्या–55 / 2024 में पारित आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु दिनांक–07.02.2024 को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर, अवर अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर, तहसीलदार, बागेश्वर व क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी के साथ होटल नरेन्द्रा पैलेस, होटल से लगी हुयी सरयू नदी एवं नगर पालिका क्षेत्र, बागेश्वर का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है। जो निम्नवत् है–

01. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–2458 / 2023–24 दिनांक–11.03.2024 से अवगत कराया गया है कि सरयू नदी के किनारे स्थित होटल नरेन्द्रा पैलेस द्वारा सरयू नदी में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं किया जा रहा है, और न ही होटल नरेन्द्रा पैलेस द्वारा नदी के प्रवाह को मोड़ा गया है।
02. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–238 / सिं0ख0बा0 / सी–7 / बागेश्वर दिनांक–18.03.2024 से अवगत कराया गया है कि सरयू नदी के किनारे स्थित होटल नरेन्द्रा पैलेस के निर्माण के कारण नदी का बहाव (नैचुरल फलो) किसी भी प्रकार से वर्तमान में प्रभावित नहीं हो रहा है।
03. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर द्वारा अवगत कार्यालय पत्रांक–बायो0 मेडि0 बेस्ट / 2023–24 / 8030 दिनांक–13.03.2024 से अवगत कराया गया है कि जिला चिकित्सालय द्वारा वर्तमान में बायोमेडिकल कूड़े के निस्तारण हेतु चिकित्सालय परिसर में 02 डीप बरियल पिट बनाये गये हैं। जिनमें चिकित्सालय से निकलने वाले जैविक कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन किया जाता है। श्यामलाल साह जिला चिकित्सालय, बागेश्वर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में पंजीकृत है। वर्तमान में इसके नवीनीकरण के प्रक्रिया गतिमान है।
04. तहसीलदार, बागेश्वर के माध्यम से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि ग्राम कठायतबाड़ा क्षेत्र तल्ला कत्यूर तहसील बागेश्वर के गैर ज0वि0ख0खा0संख्या–69 श्रेणी 10(4) रौखड़ के गाटा संख्या–3615 रकवा 0.655 है0 भूमि मध्ये 252 वर्गमीटर में व्यवसायिक दुकान दर का निर्माण किया गया है। उक्त भूमि में नरेन्द्र सिंह चेतवाल द्वारा होटल नरेन्द्रा पैलेस व व्यवसायिक दुकानों का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार की भूमि पर अवैध रूप से दुकान व होटल का निर्माण किये

क्रमशः..........02

(19)

जाने पर सम्बन्धित का चालान उत्तराखण्ड सार्वजनिक भू–गृहादि अधिनियम के अन्तर्गत किया गया। वर्तमान में उक्त चालानी कार्यवाही विहित प्राधिकारी/परगनाधिकारी, बागेश्वर के न्यायालय में विचाराधीन है।

05. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–न्झच्छध्त्ध्भ रिट/24/3192–1409 दिनांक–13.03.2024 से अवगत कराया गया है कि दिनांक–07.02.2024 को हुए संयुक्त निरीक्षण से पूर्व दिनांक–28.03.2022 को नगर पालिका परिषद् क्षेत्र बागेश्वर को निरीक्षण किया गया। नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 का अनुपालन न किये जाने की दशा में मा0 हरित अधिकरण में योजित पूर्व आदेश मूल आवेदन संख्या–606/2018 के क्रम में दिनांक–01.04.2020 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। होटर नरेन्द्रा पैलेस, बागेश्वर को जल प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं वायु जल प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत वांछित प्रपत्रों के साथ संचालनार्थ सहमति हेतु आवेदन किये जाने हेतु दिनांक–27.01.2024 को पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः उक्तानुसार मा0 हरित अधिकरण, प्रधान खण्ड पीठ, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन पत्र संख्या–55/2024 में पारित आदेश के क्रम में सम्बन्धित विभागों से प्राप्त अनुपालन आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु साद प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर।

उपजिलाधिकारी ... प्राप्ति सं० 277 दि० 12/3/24

(20)

कार्यालय नगर पालिका परिषद बागेश्वर

EMAIL – ID- nppbageshwar@gmail.com

पत्रांक – 2458 **/2023–24 दिनांक**– 11-3-2024

सेवा में,

उपजिलाधिकारी महोदया,
बागेश्वर।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या– 55/2024 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक संख्या–542(1) रा0उ0 जॉच/2023–2024 दिनांक 27 फरवरी 2024 के क्रम में सादर अवगत कराना है, कि सरयू नदी के किनारे स्थित होटल नरेन्द्रा पैलेस द्वारा सरयू नदी में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं किया जा रहा है, और न ही होटल नरेन्द्रा पैलेस द्वारा नदी के प्रवाह को मोड़ा गया है।

अतः महोदय सूचना सादर सेवा में प्रेषित।

Recd

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बागेश्वर।

(21)

आवश्यक / मा0रा0ह0अधि0 सन्दर्भ

अनुस्मारक–02

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या–542(2) / रा0अ0–जांच / 2023–24 दिनांक–12 मार्च, 2024

सेवा में,

01. तहसीलदार, बागेश्वर।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
03. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।
04. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–55 / 2024 गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश विषयक।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–542 / रा0अ0–जांच / 2023–24 दिनांक–07.02.2024, पत्र संख्या–542(1) दिनांक–27.02.2024 के साथ संलग्न जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या–286 / 29–ए0आर0ए0–मा0रा0 ह0अधि0 / 2024 दिनांक–30 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–55 / 2024 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता श्री गोपाल चन्द्र वनवासी, निवासी ग्राम रीठा पोस्ट कंधार तहसील गरूड द्वारा तहसील बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे स्थित होटल नरेन्द्रा पैलेस द्वारा सरयू नदी में किये जा रहे प्रदूषण आदि के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर सम्बन्धित होटल एवं उससे लगे हुए सरयू नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। किन्तु एक पक्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने तथा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी आपके स्तर से आख्या अप्राप्त है।

अतः मा0 हरित अधिकरण एवं जिलाधिकारी महोदया के कार्यालय पत्र से प्राप्त निर्देशों के कम में आपसे अपेक्षा है कि आप होटल नरेन्द्रा पैलेस परिसर एवं उससे लगी हुयी सरयू नदी का निरीक्षण कर मा0 हरित अधिकरण के आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपने–अपने विभागों से सम्बन्धित आख्या तीन दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूंकि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से सम्बन्धित है। इसलिए जांच आख्या में विलम्ब किसी प्रकार का न होने पावे।

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

(22)

आवश्यक / मा0रा0ह0अधि0 सन्दर्भ

अनुस्मारक–01

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या–542(1) / रा0अ0–जांच / 2023–24 दिनांक–27 फरवरी, 2024

सेवा में,

01. तहसीलदार, बागेश्वर।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
03. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।
04. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–55 / 2024 गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश विषयक।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–542 / रा0अ0–जांच / 2023–24 दिनांक–07.02.2024 के साथ संलग्न जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या–286 / 29–ए0आर0ए0–मा0रा0ह0अधि0 / 2024 दिनांक–30 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–55 / 2024 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता श्री गोपाल चन्द्र वनवासी, निवासी ग्राम रीठा पोस्ट कंधार तहसील गरूड द्वारा तहसील बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे स्थित होटल नरेन्द्रा पैलेस द्वारा सरयू नदी में किये जा रहे प्रदूषण आदि के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर सम्बन्धित होटल एवं उससे लगे हुए सरयू नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। किन्तु एक पक्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी आपके स्तर से आख्या अप्राप्त है।

अतः मा0 हरित अधिकरण एवं जिलाधिकारी महोदया के कार्यालय पत्र से प्राप्त निर्देशों के कम में आपसे अपेक्षा है कि आप होटल नरेन्द्रा पैलेस परिसर एवं उससे लगी हुयी सरयू नदी का निरीक्षण कर मा0 हरित अधिकरण के आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपने–अपने विभागों से सम्बन्धित आख्या एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूंकि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से सम्बन्धित है। इसलिए जांच आख्या में विलम्ब किसी प्रकार का न होने पावे।

संलग्नक यथोक्त

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

[illegible] 192 [illegible] 15/4/24

(23)

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार महोदय कोटद्वार,

विषय - मा० राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या 55/2024 गोपाल चन्द्र बनवाल बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश विषयक,

महोदय,
उपरोक्त विषयक श्रीमान के कार्यालय पत्रांक संख्या 24/2024 दिनांक 15/03/2024 के क्रम में जाँच की गयी आख्या निम्नवत है,

कि ग्राम कठायतबाड़ा पटवारी क्षेत्र - कस्बा कोटद्वार तहसील व जनपद कोटद्वार के गैर जमींदारी खतौनी खाता संख्या 69 श्रेणी 10 (4) रोखड़ के खाता संख्या 3615 रकबा 0.655 हे० भूमि मध्ये 252 वर्ग मीटर में व्यावसायिक दुकान घर का निर्माण किया गया है उक्त भूमि में [illegible] द्वारा [illegible] के व्यावसायिक दुकान घर का निर्माण किया है, जिसका उ०प्र०ज०वि० अधिनियम अन्तर्गत धारा [illegible] कार्यवाही का श्रीमान परगना मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है,

अत: वाद जाँच आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

[signature] 04/03/2024
[illegible]

Received
NN-सं0-89/24

सेवा में,
उपजिलाधिकारी
कोटद्वार,

महोदय,
RSI [illegible] की उपरोक्त आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

[signature]
Teh (Bn)
21.03.2024

24

आवश्यक / मा0रा0ह0अधि0 सन्दर्भ

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या– 542(1)/रा0अ0–जांच/2023–24 दिनांक–09 फरवरी, 2024

सेवा में,

01. तहसीलदार, बागेश्वर।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
03. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।
04. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–55/2024 गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश विषयक।

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या–286/29–ए0आर0ए0–मा0रा0ह0अधि0/2024 दिनांक–30 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–55/2024 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता श्री गोपाल चन्द्र वनवासी, निवासी ग्राम रीठा पोस्ट कंधार तहसील गरूड द्वारा तहसील बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे स्थित होटल नरेन्द्रा पैलेस द्वारा सरयू नदी में किये जा रहे प्रदूषण आदि के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर सम्बन्धित होटल एवं उससे लगे हुए सरयू नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

अतः मा0 हरित अधिकरण एवं जिलाधिकारी महोदया के कार्यालय पत्र से प्राप्त निर्देशों के कम में आपसे अपेक्षा है कि आप होटल नरेन्द्रा पैलेस परिसर एवं उससे लगी हुयी सरयू नदी का निरीक्षण कर मा0 हरित अधिकरण के आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपने–अपने विभागों से सम्बन्धित आख्या एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूंकि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से सम्बन्धित है। इसलिए जांच आख्या में विलम्ब किसी प्रकार का न होने पावे।

संलग्नक यथोक्त

2/4/2024
RSI मो0 कार्य।

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

15.02.2024

मा.रा. हरि. अधे.प्रकरण
अति महत्वपूर्ण/समयबद्व

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्याः-286/29-ए.आर.ए.- मा.रा.ह.अधि./2024 दिनांक 30 जनवरी, 2024

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः- मूल आवेदन पत्र संख्या-55/2024, श्री गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम् उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य व अन्य के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान खण्ड पीठ, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.01.2024 के सुनवाई के उपरान्त उनके मूल आवेदन संख्या-55/2024 श्री गोपाल चन्द्र वनवासी,निवासी ग्राम रीठा,पोस्ट कंधार तहसील गरूड़ जनपद, बागेश्वर द्वारा जिसमें उनके शिकायती पत्र के कम में जनपद, बागेश्वर अन्तर्गत नगर पालिका परिष्द, बागेश्वर के क्षेत्र में एकत्र किया गया कूड़ा खुले तौर पर फैलाया जाने व कचरा जलाने से जिसनें बायोमेडिकल कचरा भी शामिल है, जिसमें जहरीली गैसें हवा को प्रदूषित कर रही है। स्थानीय निवासियों और आसपास के जानवरों को प्रभावित कर रही है। और स्वास्थय के लिए हानिकारक खतरा पैदा कर रही है। इसके अतिरिक्त सरयू नदी में अतिक्रमण कर नरेंद्रा पैलेस नाम से एक व्यवसायिक इमारत का निर्माण होटल के रूप में किये गये जिसमें नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहे है के शिकायती पत्र का सम्यक रूप से अनुपालन कर संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त है।

अतः प्राप्त आदेश की प्रति को पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार प्रकरण में ससमय अपेक्षित कार्यवाही नियमानुसार कर अनुपालन की कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रकरण अति महत्वपूर्ण है। इसे शीर्ष प्राथमिकता देवें।

संलग्न-यथोक्त।

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

प्रतिलिपिः-निम्नांकितों को उपर्युक्तानुसार मय संलग्नक के सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ हेतु प्रेषितः-

01-मुख्य विकास अधिकारी,बागेश्वर।
02-क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी जनपद नैनीताल।
03-प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय जिला कार्यालय, बागेश्वर।
04-अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद,बागेश्वर/नगर पंचायत कपकोट/गरूड़।
05-अपर जिलाधिकारी,महोदय बागेश्वर को उपर्युक्तानुसार सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
06-मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, जिला कार्यालय, बागेश्वर को उपर्युक्तानुसार जिलाधिकारी, महोदया के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
07-कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

(26)

by mis

Item No. 04 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 55/2024

1657

AIARA

Gopal Chandra Vanwassi — Applicant

Versus

Uttarakhand Pollution Control Board — Respondent

Date of hearing: 18.01.2024

24/01

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

ORDER

1. This original application is registered on the basis of the letter petition sent by one Gopal Chandra Vanwassi resident of village Ritha, Post Kandhar, Tehsil Garur, district Bageshwar with the allegation that the garbage collected from the municipal area of Bageshwar municipality is openly burnt and on account of burning of garbage, which includes Bio Medical Waste also, poisonous gases are polluting the air and affecting the residents and nearby animals and causing health hazard. It is alleged that inspite of the complaint, authorities have not taken any action. Further allegation of the applicant is that a commercial building by the name of Narendra Palace has been built as a hotel by encroaching upon Saryu River, affecting the natural flow of the river.

2. The letter petition raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. The grievance raised by the applicant needs to be first considered and remedial action is required to be taken by the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) as also District Magistrate, Bageshwar.

4. Hence, we require them to jointly carryout the inspection, ascertain the factual position on the spot and extent of violation of environmental norms and take remedial action.

5. Let the Joint Action Taken Report be submitted before the Registrar General of the tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, if found necessary the matter will be listed before the tribunal for consideration.

6. Original Application is accordingly disposed of.

7. A copy of this order, along with a copy of the petition, be forwarded to the Member Secretary, UKPCB and District Magistrate, Bageshwar by email for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 18, 2024
Original Application No. 55/2024
AS.

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बागेश्वर।

28

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर।

पत्राक– बायो0 मेडि0 बेस्ट / 2023–24 / 8030 दिनांक–13.03.2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल बाद संख्या–55 / 2024 गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्राक संख्या– 542(2) / रा0आ0–जांच / 2023–24 दिनांक–12.03.2024 के क्रम में अवगत कराना है कि तहसील बागेश्वर, जिला–बागेश्वर में श्यामलाल साह जिला चिकित्सालय स्थित है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बागेश्वर के पत्रांक बायो0वेस्ट / 2023–24 / 1859–60 दिनांक 13.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला चिकित्सालय द्वारा वर्तमान में बायोमेडिकल कूडे के निस्तारण हेतु चिकित्सालय परिसर में 02 डीप बरियल पिट बने हुऐ हैं। जिनमें चिकित्सालय से निकलने वालें जैविक कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन किया जाता है।

श्यामलाल साह जिला चिकित्सालय बागेश्वर, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत है वर्तमान में इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया गतिमान हैं।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बागेश्वर।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बागेश्वर।

29

पत्रांकः बायो0वेस्ट/2023–24/18580 दिनांकः 13/03/2024

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– बागेश्वर।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–55/2024 गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम् उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य मे पारित आदेश विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक संख्या 542(2)रा0अ0–जॉच/2023–24 दिनांक 12 मार्च 2024 के कम मे आपके द्वारा चाही गयी सूचना के कम में अवगत कराना है कि जिला चिकित्सालय बागेश्वर द्वारा वर्तमान में बायो मेडिकल कूडे के निस्तारण हेतु चिकित्सालय परिसर में 02 डीप बैरियल पिट बने हुये है, जिसमे चिकित्सालय से निकलने वाले जैविक कूडें का निस्तारण प्रतिदिन किया जाता है।

अतः सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जिला चिकित्सालय बागेश्वर

पत्रांकः बायो0वेस्ट/2023–24/ तददिनांक

प्रतिलिपि : 1. उपजिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जिला चिकित्सालय बागेश्वर

HEAD OFFICE

Uttarakhand Pollution Control Board
46-B, IT Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
46–बी, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

UKPCB/HO/BMW-86/2022/1803

Date: 19.03.2022

SPEED POST

To,

Dr V. K. Tamta,
M/s S. L. Shah District Hospital,
Bageshwar, District-Nainital, Uttarakhand.

Consolidated Consent to Operate and Authorization here in after referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974"; Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Authorization under Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as **Water Act. Air Act and BMW Rules** respectively).

CCA is here by granted to **M/s S. L. Shah District Hospital (Uttarakhand)** subject to the provisions of **Water Act, Air Act & BMW Rules** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions: -

This CCA is granted for a period valid up to **31.03.2023** and valid for operation of healthcare facility of **67+13 (80) Nos. Bedded** capacity.

Conditions under BMW Rules:
Authorization No. B.M.W.-86/2022/1803.. and Date of issue..19-3-2022........

(i) **Dr V. K. Tamta** an occupier of **M/s S. L. Shah District Hospital,** located at Near **Bageshwar, District-Nainital, Uttarakhand** for Generation, Collection, Treatment, Transportation and Disposal of following categories of Bio-medical wastes from healthcare facility. Transportation, treatment and disposal of biomedical wastes shall be carried out by **Deep Burial.**

(ii) **Dr V. K. Tamta** an occupier of **M/s S. L. Shah District Hospital,** is here by authorized for Generation, Collection, Treatment, Transportation and Disposal of following categories of Bio-medical Wastes generated from Hospital as per details given below:

i.	Nos of Beds	67+13 (80) No. of Beds
ii.	Total Waste Generated (Yellow, Red, Blue, White Kg/day)	43 Kg/day
iii.	Waste Disposal	Through **Deep Burial**
iv.	Waste Water Generation	0.080 KLD

(iv) This Authorization shall be in force for a period of **31.03.2023.**

(v) This Authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the **BMW Rules 2016**, for the time being in force under the **Environment (Protection) Act,1986.**

Scanned with OKEN Scanner

(31)

Terms and Conditions of Authorization:

1. The authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.
2. The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.
3. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the biomedical wastes without obtaining prior permission of the prescribed authority.
4. Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorised shall constitute a breach of his authorisation.
5. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility and such other terms and conditions may be stipulated by the prescribed authority.
6. The occupier shall strictly adhere to the duties of occupier as defined under the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 as amended time to time.
7. The applicant shall submit audited balance sheet of the unit at the ned of each financial year so that fee submitted by the applicant could be assessed.
8. All bedded health care units, maintain and update on day-to-day basis the bio-medical waste management register and display the monthly record on its website according to the bio-medical waste generated in terms of category and colour coding as specified in Schedule1.
9. All bedded health care facilities (any number of beds), make available the annual report on its web-site within a period of two years from the date of publication of the Bio-Medical Waste Management (Amendment) Rules, 2018.
10. The Occupier Shall establish a Bar Code System for bags or Containers Containing Bio- medical waste to be sent out of the premises for further treatment and disposal in accordance of Guidelines issued by the CPCB from time to time.
11. Pre-treat the laboratory waste, microbiological waste, blood samples and blood bags through disinfection or sterilisation on-site in the manner as prescribed by the WHO or NACO guidelines and then sent to the CBMWTDF for final disposal.
12. NON-bedded occupiers shall dispose infectious liquid waste only after treatment by disinfection as per schedule-II (6) of the Bio- Medical Waste Management Rules 2016, as (Amendment) Rules 2019.
13. Health Care Facility having beds have to Install sewage treatment plant to comply with the output discharge standard for liquid waste from the date of publication of the Bio-Medical Waste Management Rules 2016, as (Amendment) Rules 2019.

1. Conditions under Water Act:

(i) **Liquid Waste Treatment and disposal:** The liquid waste generated from the premises of occupier shall be treated through wastewater treatment plant as required with reference to quantity and quality of liquid waste. The Liquid waste generated and treated from the premises shall confirm to the following limit as specified under the BMW Rules, 2016 as amended, before discharge into sewer or land disposal:

Parameters	Permissible Limit
pH	6.5 to 9.0
Suspended Solids	100 mg/L (Max.)
BOD	30 mg/L (Max.)
COD	250mg/L (Max.)
Oil & Grease	10 mg/L (Max.)
Bio-assay test	90% survival of fish after 96 hours in 100% effluent

Scanned with OKEN Scanner

(ii) The occupier shall ensure appropriate operation & maintenance of Sewage Treatment Plant of 25 KLD Capacity, so as to meet described discharge parameters within limit all the time. Analysis reports are submitted to the Board's offices on a half yearly basis.

2. **Conditions under Air Act: -**

(i) The applicant shall use following fuel and install an appropriate noise & air control system as is required with reference to generation of emissions and maintain the same continuously so as to achieve the level of noise /air pollutants to the following standards: -

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1.	25 KVA	1.0	Diesel	-	Acoustic enclosure and stack	-

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows: -

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time: from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Specific and General Conditions:

1. The Occupier(s) shall comply with the provisions of the Biomedical Waste Management Rules, 2016 as amended; Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended; Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Environment (Protection) Act, 1986 and Rules/Notification made there under.
2. The Occupier shall strictly duties of Occupier as specified under the Bio-medical Waste Management Rules, 2016 as amended time to time.
3. The Solid wastes generated from the hospital shall be disposed as per the provisions of Solid Waste Management Rules, 2016.
4. The hospital shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
5. The hospital shall strictly adhere to the safety norms and shall obtained necessary permission from concerned authority.
6. The bins/bags should be labeled with bio-hazardous symbol. The bags used for BMW should be non-chlorinated.
7. Polythene bags carrying waste have to be sealed/ tied at the top whenever waste is being transported within/outside hospitals.
8. Polythene bags placed in bins should be changed with each shift when they are 3/4th full.

Scanned with OKEN Scanner

(33)

9. Color coding of waste bines according to schedule III & IV of the rules the color codings & details of waste should be marked on collection bins.
10. No untreated bio-medical waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours. if it becomes necessary to store beyond 48 hours the authorized person must take permission of the prescribed authority & to ensure that it does not adversely affect human health & environment.
11. Hospital shall submit annual report to the prescribed authority in Form-II, including information's about the categories and quantities of BMW handled.
12. Bio-medical waste shall not be mixed with other waste.
13. Unit has to submit agreement with Common Waste disposal facility for final disposal of Hazardous waste.
14. Validation test (spore testing and routine test for autoclave shall be performed regularly. Details regarding this as adopted shall be sent within a month.
15. The mercury spillage/losses should be given proper attention, so that it should not be part of the bio-medical waste or other solid wastes generated from your hospital
16. Bio-Medical waste shall be disposed of through the board's authorized agency.
17. The Occupier shall ensure strict compliance of above conditions on day-to-day basis.
18. The hospital shall comply with other general conditions specified in the guidelines issued by the MOEF or CPCB/SPCB from time to time. Noncompliance of any provisions of related Water Act; Air Act; BMW Rules and E(P) Act and Rules made there under as amended time to time will attract legal action under provisions of the aforesaid Acts and Rules.
19. The Board reserves the right to revoke/modify any condition(s) of this CCA at any time, in case the hospital is found violating any of the provisions of the Biomedical Waste Management Rules, 2016 as amended; Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended; Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Environment (Protection) Act, 1986 and Rules/Notification made there under.

Member Secretary

Copy to: 1- Regional Officer (I/c), UKPCB, Haldwani.
2- Guard File

Member Secretary

Scanned with OKEN Scanner

(34)

UTTARAKHAND

FORM II

(See Rule 10)

APPLICATION FOR AUTHORIZATION OR RENEWEL OF AUTHORISATION

(To be submitted by occupier of Health Care Facility or Common Bio-Medical Waste Treatment Facility)

To ,
The Member Secretary,
Uttarakhand Environment Protection and
Pollution Control Board,
Dehradun

1	**Particulars of the applicant:**		
i)	Name of the applicant	:	S L SAH DISTRICT HOSPITAL
	Designation	:	CHIEF MEDICAL SUPRITENDNT
ii)	Name of the Institution	:	S L SAH DISTRICT HOSPITAL BAGESHWAR
	Address for correspondence	:	BANKHOLA WARD BAGESHWAR Bageshwar
	Landline phone No	:	-6398490572
	Mobile No.	:	6398490572
	E-mail Id	:	distt.hospitalbgr@gmail.com
2	**Activity for which authorisation is sought:**		
	Generation, segregation,Collection,Transportation,Disposal or destruction use		
3 i)	**Authorization now Applied For :**	:	Renewal
3 ii)	**Previous Authorization Details :**		

Date of Application for BMWA	BMWA Type	Authorisation No	Issued date	Valid date
[illegible].0/2023	Renewal	BMW-86/22/1803	19/03/2022	31/03/2023

iii)	**Status of CTE/CTO-latest consent type, issued date and validity date**	:	31.03.2023
iv)	**GPS Coordinates- Lat/Lon of the location of applicant facility(In decimal degress with 6 decimals)**	:	Latitude: 29.838846 (N Decimal degrees) / Longitude: 79.775567E Decimal degrees)
4 i)	**BMW Facility Type**	:	HCF
ii)	**BMW Facility Status**	:	HCF-Common Facility Member
iii)	Name Of CBWTF	:	Global Environmental Solution
iv)	Address of the location of Health Care Facility or CBWTF	:	BANKHOLA WARD BAGESHWAR Bageshwar

35

	CBWTF-Office and location address of treatment and disposal	:	774 / 56
5)	Details of HCF		
i)	Medical Treatment Facility provided to Outpatients	:	450
ii)	Medical Treatment Facility provided to Inpatients	:	65
iii)	No of Beds	:	80
iv)	In case of bedded hospital average occupancy of the hospital annually in %(Percentage)	:	75
v)	Occupancy in the Hospital Per Day(in Nos)	:	55
vii)	**Quantity of BMW handled, treated or disposed:**		

Category	**Type of Waste**	**Quantity Generated or collected in Kg/day**	**Method of Treatment and Disposal as per Schedule-I**
Yellow	a) Human Anatomical Waste	.6	Incineration
	b) Animal Anatomical Waste	0	Incineration
	c) Soiled Waste	.5	Incineration
	d)Expired or Discarded Medicines	.1	Incineration
	e)Chemical Solid Waste	0	Incineration
	f) Chemical Liquid Waste	3	Onsite ETP to treat and conform to the discharge standards
	g)Discarded linen, mattresses, beddings contaminated with blood or body fluid	0	Disinfection followed by Incineration
	h) Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory waste	.5	Sterilisation followed by Incineration
Red	Contaminated waste (Recyclable)	.5	Autoclaving followed by shredding. Treated waste to be sent to Authorised recyclers or for energy recovery or plastic to Diesel or fuel oil or for road making
White(Translucent)	Waste sharps including Metals	.2	Autoclaving followed by shredding. Treated waste to be sent to Iron foundries or sanitary landfill or designated concrete waste sharp pit.
Blue	Glassware	1	Disinfection or Autoclaving or microwaving or hydroclaving and then sent for recycling
	Metallic Body Implants	2	
	Total	5.40 Kg/Day	

6	**Mode of Transportation of BMW**	:	Common Facility Vehicle
ii)	**Details of Treatment equipments available for treatment of BMW:**		

Sl No	Treatment equipment	No of units	Type and capacity of each unit
1	Incinerators	0	
2	Plasma Pyrolysis	0	
3	Autoclaves	04	2 working 2 not working
4	Microwave	01	
5	Hydroclave	0	
6	Shredders	0	
7	Needle tip cutter or destroyer	08	
8	Sharp encapsulation or Concrete pit	01	
9	Deep burial pits	01	
10	Chemical disinfection	02	
11	Any other treatment equipment	00	

7	**Details of directions or notices or legal actions if any during the period of earlier authorisation**	:	Yes
8	**Bank Details**		

Bank Name	Branch Name	Draft No./Money Receipt No.	Date	Rupees

9)	**Chimney**	:	New
10(a)	**Air Emission Details(Stack Details)**		

Number of Stack	Stack Attached to Plant	Stack Height above ground level (meters)	Height of sample form and multi-platform(meters	Stack Height above factory room(meters)	Stack Top	Gas Quantity (m^3 /hr)	Fuel Gas Temperature('C)	Exit Velocity of The Gas/ sec	Plant Capacity	Unit	Stack Draft Type	Material Of Construction Of Stack
1	DG Set	1	0	1.0	Round	0.0	0.0	0.0	25	Metric Tonnes/ Day	ID Fan	25

10(b)	**Air Emission Details(Flue Gas Emission Details)**

37

Stack Attached To Plant	Fuel Name	Fuel Consumption Quantity	Unit	Calorific Value	Ash Contents(%)	Sulphur Contents(%)	Others	Type of Firing	Quantity of gas	So2	Co2	No2	CO/HC	CO/NOx	Analysis of vent hydrocarbons	particulars	others

10(c) **Air Emission Details(Air Pollution Control Equipment Details)**

Stack Attached To Plant	Equipment Name	Existing or Proposed	Equpment Size	No. of Equipments	Status	For which Pollutant	Date of Instalation	Particulate Analysis	Unit	Chemical Analysis	Is there sufficient space available for installing air pollution control equipment

10(d) **Air Emission Details(Climatological And Meteorologic Details)**

Climate Condition	Rain Fall (yearly average)	Temperature('C)	Information on Speed and Direction of Wind	Humidity And Solar Radiation

11(a) **Water Emission Details(Water Consumption Details)**

Source Consumption	Quantity (KL/D)
Industrial	30.0

11(b) **Water Emission Details(Water Effluent Generation Details)**

Generation	Waste Water Generation Quantity (Kl/D)
Industrial	30.0

11(c) **Water Emission Details(Solid Waste Details)**

Nature of Waste	Approximate Composition	Total Quantity(per day)	Hazardous	Mode of Disposal

11(d) **Water Emission Details(Material Details)**

38

	Material	Material Details	Name	Weight
11(e)	**Water Emission Details(Fuel Consumption)**			
	Fuel	Consumption(tpd/kld)	Use	
11(f)	**Water Emission Details(Effluent(Treated) Disposal Details)**			
	Name	Status(Already Made)	Status(Proposed To)	
11(g)	**Water Emission Details(Composition of Effluent Details)**			
	Name	Effluent before treatment	Effluent after treatment	
12	**Declaration**			
	I do hereby declare that the statements made and information given above is true to the best of my knowledge and belief and that I have not concealed any information. I do also hereby undertake to provide any further information sought by the prescribed Authority in relation to these rules and to fulfil any conditions stipulated by the prescribed Authority.			

Date: 27/10/2023

Signature of the applicant

Name and Designation

Enclosures:

1. Annual Return Form 2
2. Copy Of Logbook for BMW Disposal
3. Detail of In house treatment and disposal of BMW

39

slides, glass petri dishes etc.
Metal sharps
Hazardous and Other waste (Black)

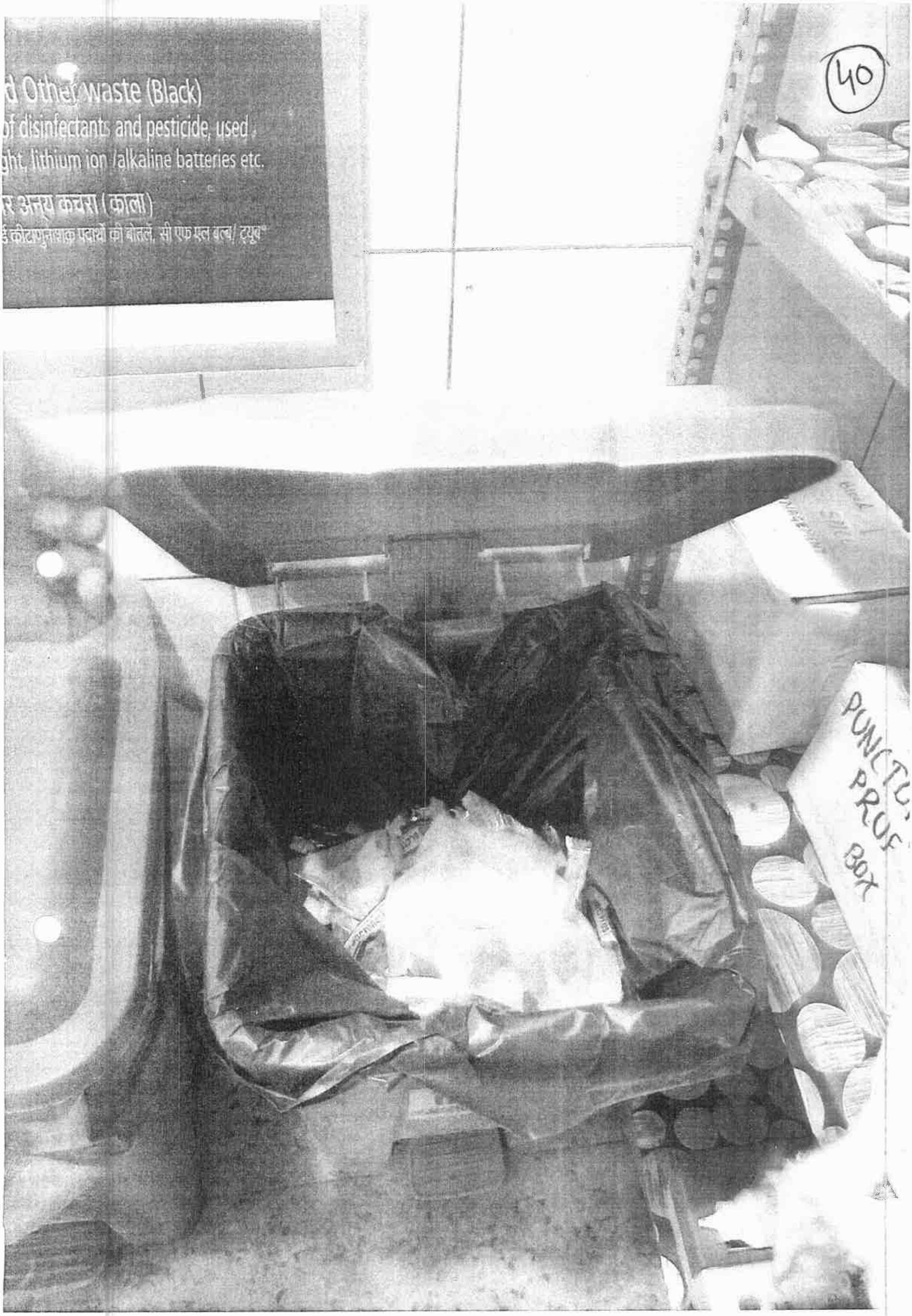

d Other waste (Black)
of disinfectants and pesticide, used
ght, lithium ion /alkaline batteries etc.
र अन्य कचरा (काला)
ई कीटाणुनाशक पदार्थों की बोतलें, सी एफ एल बल्ब/ ट्यूब
40
PUNCTU
PROF
BOX

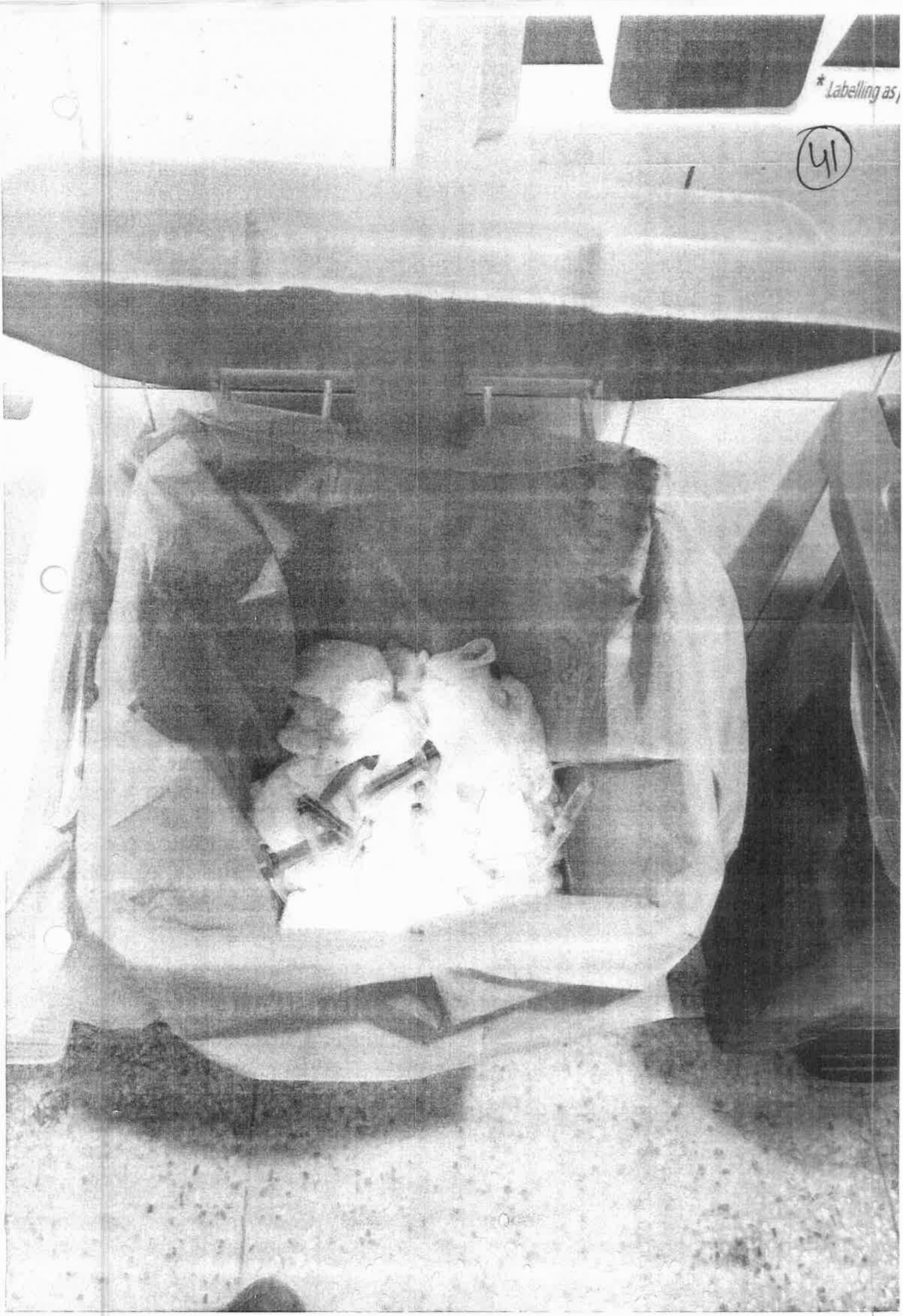
* Labelling as
41

42

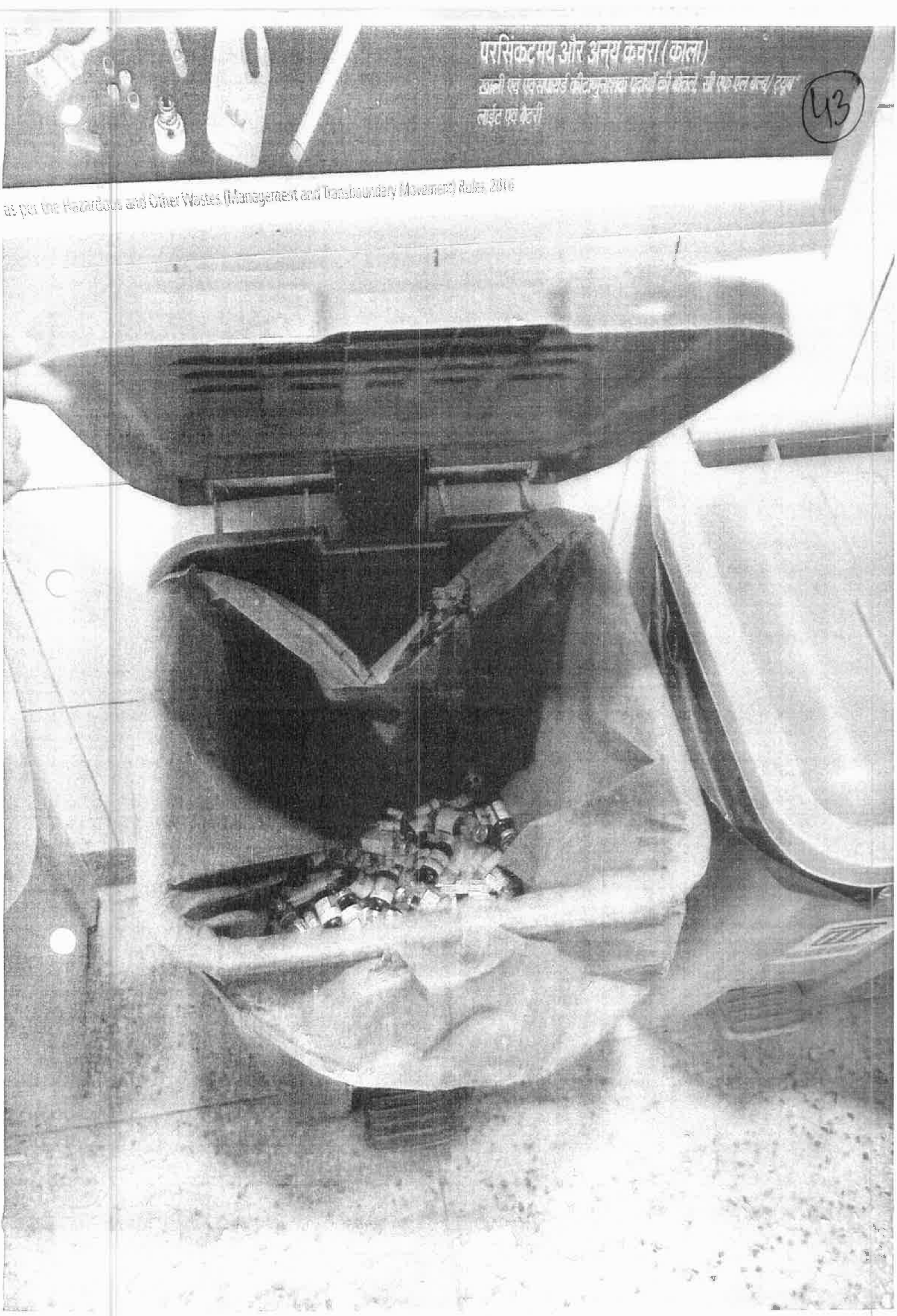
परिसंकटमय और अन्य कचरा (काला)
लाईट एवं बैटरी
as per the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016

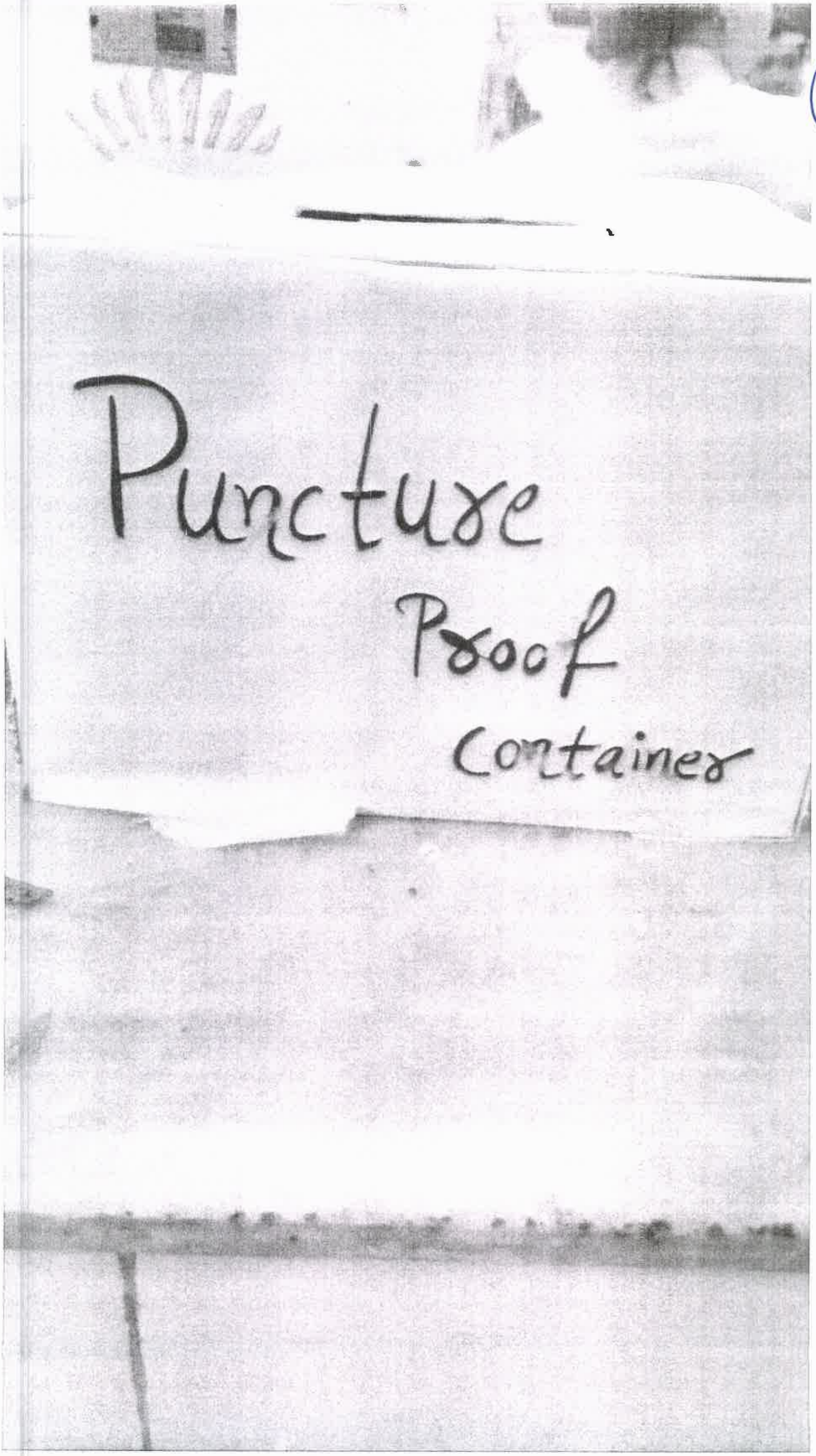
Puncture
Proof
Container

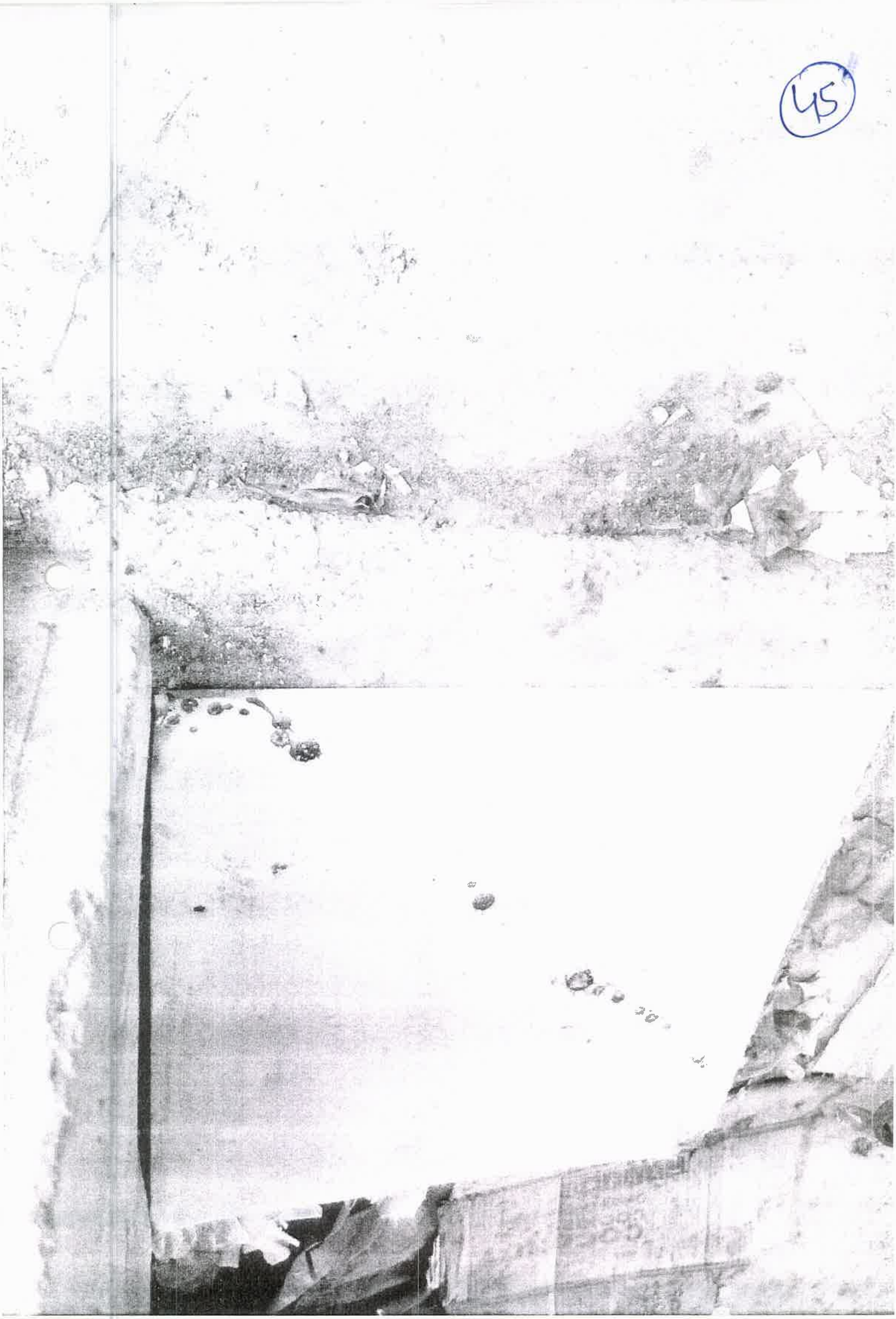

कार्यालय उपजिलाधिकारी बागेश्वर
डाक प्राप्ति संख्या 288 दि० 18/3/24

48

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड बागेश्वर

प्रेषित,

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर।

पत्रांकः–236 / सिं0ख0बा0 / सी–7 / बागेश्वर : दिनांक 12/03 /2024।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद सं0 55/2024 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश विषयक।

सन्दर्भ – अपके कार्यालय का पत्रांक 542(2)/रा0अ0–जांच/2023–24 दिनांक 12.03.2024

महोदय,

उरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि सहायक अभियन्ता तृतीय सिंचाई खण्ड बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अपर सहायक अभियन्ता श्री भाष्कर बसवाल तथा अपर सहायक अभियन्ता श्रीमती मनुजा पन्त के सथ नगर पालिका क्षेत्र बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे स्थित होटल नरेन्द्र पैलेस का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि होटल निर्माण के कारण नदी का बहाव (नैचुरल फ्लो) किसी भी प्रकार से वर्तमान में प्रभावित नहीं हो रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित है

RA
SDM
BGR

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड बागेश्वर

(49)

कार्यालय सहायक अभियन्ता,
तृतीय उपखण्ड बागेश्वर

पत्रांक– 31 /स0अ0तृ0/पी0–2 जनरल /बागेश्वर : दिनांक 04/03/2024।
विषय :–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या 55/2024 गोपाल चन्द्र वनवासी बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश विषयक।

अधिशासी अभियन्ता, सिचांई खण्ड बागेश्वर।

महोदय, उपरोक्त विषयक पत्र के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी तथा इस उपखण्ड के अपर सहायक अभियन्ता **श्री** भाष्कर बसवाल एवं श्रीमती मनुजा पन्त के साथ नगर पालिका क्षेत्र बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे स्थित होटल नरेन्द्र पैलेस का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया । निरीक्षण मे पाया गया कि होटल निर्माण के कारण नदी का बहाव (नैचुरल फ्लो) किसी भी प्रकार से वर्तमान में प्रभावित नहीं हो रहा है।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

(भाष्कर बसवाल)
अपर सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड बागेश्वर

(मनुजा पन्त)
अपर सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड बागेश्वर

सहायक अभियन्ता, तृतीय
सिंचाई खण्ड बागेश्वर

प्र० श्री० अजय कु० लव
13/03/2024

50

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ रिट/24/3192-1409 Dt- 13/03/24

सेवा में

उपजिलाधिकारी महोदया,
जिला–बागेश्वर

विषयः मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–55/2024 गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान खण्ड पीठ नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18.01.2024 के अनुपालन में जनपद–बागेश्वर अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा होटल नरेन्द्रा पैलेस बागेश्वर के संयुक्त निरीक्षण में दिनांक 07.02.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभाग किया गया है। अग्रेतर अवगत कराना है कि पूर्व में भी दिनांक 28.03.2022 को कार्यालय द्वारा नगर पालिका परिषद बागेश्वर का निरीक्षण किया गया है। नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 का अनुपालन न किये जाने की दशा में मा0 हरित अधिकरण में योजित पूर्व आदेश मूल आवेदन संख्या–606/2018 के क्रम में दिनांक 01.04.2020 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। (संलग्नक–01) होटल नरेन्द्रा पैलेस, बागेश्वर को जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1974 की धारा–25 एवं वायु जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत वॉछित प्रपत्रों के साथ संचालनार्थ सहमति हेतु आवेदन किये जाने हेतु दिनांक 27.01.2024 को पत्र प्रेषित किया गया है। (संलग्नक–02)

अतः प्राप्त आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करना चाहेंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(डॉ0 डी0के0जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

51

Ref: UKPCB/ROH/ ET0ETD | 24 | 2665-1167 Dt- 27|01|24

सेवा में,

सूची संलग्न,
पार्श्व में (कुल–36 होटल)

विषय– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1974 की धारा–25 एवं वायु जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत होवे कि होटल/रिजोर्ट के संचालन से पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण से जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1974 की धारा–25 एवं वायु जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति (Consent to Operate) प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इकाई द्वारा बिना संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये होटल का संचालन किया जा रहा है तथा वर्तमान तक बोर्ड की प्रचलित ऑनलाईन व्यवस्था में जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इकाई के संचालन हेतु सहमति एक वैधानिक अनिवार्यता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि होटल/इकाई के संचालन हेतु बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर ऑनलाईन आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें। सहमति हेतु आवेदन https://investuttarakhand.uk.gov.in/ के माध्यम से किया जाना होता है। उक्त समयावधि के अन्तर्गत होटल का ऑनलाईन आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय कर दी जायेगी। जिसका समपूर्ण उत्तदायित्व स्वंय उद्यमी का होगा।

भवदीय

(डॉ0 डी0के0जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

O/C
27|01|24

Scanned with CamScanner

S.No.	Name Of the Unit	Category	District	Address
1	TRH KAUSANI BAGESHWAR KMVN 263620	ORANGE	Bageshwar	KMVN TRH Kausani Bageshwar
2	Hotel Deep Palace	GREEN	Bageshwar	Vill Majiakhet Bageshwar
3	Hotel Siddhartha	GREEN	Bageshwar	Vill- Station Road Bageshwar Bageshwar
4	Hotel Vivek	GREEN	Bageshwar	Vill- Maziakhet Bageshwar Bageshwar
5	Hotel Annapurna	GREEN	Bageshwar	Vill- Ghatbagad Ward Bageshwar Bageshwar
6	Narendra Palace Bageshwar	GREEN	Bageshwar	Vill- Pindari Road Bageshwar Bageshwar
7	Hotel Harison	GREEN	Bageshwar	Vill- Bamsera Bharari Kapkot Bageshwar Bageshwar
8	Parihar Guest House	GREEN	Bageshwar	Vill- Kholi Bageshwar Bageshwar
9	SUN N SNOW INN	GREEN	Bageshwar	KAUSANI BAGESHWAR Bageshwar
10	TOURIST REST HOUSE BAIJNATH BAGESHWAR KMVN	GREEN	Bageshwar	KMVN TRH Baijnath Bageshwara
11	Hotel Shree Bagnath Palace	GREEN	Bageshwar	Vill- Ghatbagar ward Bageshwar Bageshwar
12	MANGAL PLACE MARRIAGE HALL	GREEN	Bageshwar	bageshwar
13	HOTEL BHAVISHYA INN	GREEN	Bageshwar	VILL- KHATHAYATBARA BAGESHWAR
14	Hotel Tapasya	GREEN	Bageshwar	Vill- Ghatbagad Ward Bageshwar Bageshwar
15	HOTEL PINDER INN	GREEN	Bageshwar	STATION ROAD BAGESHWAR Bageshwar
16	Hotel Rajdoot	GREEN	Bageshwar	Vill- Bagnath Ward Gali Bageshwar Bageshwar
17	TRH BAGESHWAR KMVN	GREEN	Bageshwar	TOURIST REST HOUSE TEHSIL ROAD BAGESHWAR 263642
18	Hotel Prashant	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
19	Hotel Himalaya Mount	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
20	Sumit Hotel	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
21	Amit Paying Guest	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
22	Deepraj Paying Guest	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
23	Hotel Negi Lodge	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
24	Hotel Hill Palace	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
25	Hotel Mistic Mountain	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
26	Bhramari Guest House	GREEN	Bageshwar	Garud, Distt- Bageshwar
27	Hotel Ashish	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
28	Hotel Ambika Palace	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
29	Hotel Sidharth	ORANGE	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
30	Hotel Neelashwar	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
31	Hotel Harsh Inn	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
32	Hotel Shivansh	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
33	Welcome Guest House	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
34	Radha Krishna Guest House	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
35	Hotel Pindar Inn	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
36	Bagnath Guest House	GREEN	Bageshwar	Mandalsera, Distt- Bageshwar

(53)

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/MSW/22/413-153 Dt 12/05/22

सेवा में,

पर्यावरण अभियन्ता,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के प्राधिकार हेतु आवेदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक UKPCB/HO/MSW-18/1847 दिनांक 28.03.2022 के अनुपालन में कार्यालय द्वारा दिनांक 21.04.2022 को निरीक्षण किया गया है। आख्यानुसार नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा वर्तमान में नगरीय क्षेत्र से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट का भण्डारण/एकत्रण आरक्षित वन भूमि ग्राम– मालता दफौट मोटर मार्ग पर मालता नामक स्थान पर सड़क किनारे किया जा रहा है। निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर द्वारा ग्राम– पगना में राजस्व की भूमि निकाय के ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु हस्तान्तरण कर दी गयी है। जिसे शासन से भी अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा ई0आई0ए0 की कार्यवाही गतिमान है। प्रश्नगत अपशिष्ट निस्तारण स्थल पर नियमानुसार ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण उपचार एवं निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से न होने के कारण निस्तारण स्थल पर दुर्गन्ध थी तथा ठोस अपशिष्ट जलता हुआ पाया गया। (संलग्नक) उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः नगर पालिका परिषद बागेश्वर का प्राधिकार आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति करते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित पूर्व आदेश मूल आवेदन सं0 606/2018 के कम में दिनांक 01.04.2020 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

O/C
11/05/22

Scanned with CamScanner

(54)

<u>निरीक्षण आख्या</u>

कृपया निर्देशानुसार बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एचओ/एमएसडब्लू–18/1847 दिनांक 28.03.2022 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के प्राधिकार हेतु आवेदन के संबंध में निकाय का निरीक्षण दिनांक 21.04.2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा निकाय प्रतिनिधि श्री रजत कुमार (प्र0 सफाई निरीक्षक) एवं श्री धीरज काण्डपाल (वर्क ऐजेंट) की उपस्थिति में किया गया। आख्या निम्नवत है:–

1. नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा वर्तमान में नगरीय क्षेत्र से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट का भण्डारण/एकत्रण आरक्षित वन भूमि ग्राम– मालता दफौट मोटर मार्ग पर मालता नामक स्थान पर सड़क किनारे किया जा रहा है। निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर द्वारा ग्राम– पगना में राजस्व की भूमि निकाय के ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु हस्तान्तरण कर दी गयी है। जिसे शासन से भी अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा ई0आई0ए0 की कार्यवाही गतिमान है। (संलग्नक–1)
2. नगर पालिका परिषद, बागेश्वर में 11 वार्ड है। जिसकी कुल जनसंख्या 25045 है। (2011 की जनगणना के अनुसार) तथा जनित जैविक व अजैविक कुल अपशिष्ट की मात्रा लगभग 7.5 टन /दिन है। निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा जनित ठोस अपशिष्ट को बिना पृथक्करण किये पूर्व निस्तारण स्थल (मालता) पर एकत्रित/भण्डारित किया जा रहा था।
3. निरीक्षण के दौरान अपशिष्ट भण्डारण स्थल पर जैविक ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कम्पोस्टिंग/वर्मी कम्पोस्टिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। इस संबंध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद बागेश्वर, से जनित जैविक ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नगर सीमान्तर्गत वार्डो में निर्मित कम्पोस्ट पीट के माध्यम से कम्पोस्टिंग कर जैविक खाद तैयार की जा रही है तथा अजैविक ठोस अपशिष्ट को कॉम्पेक्टर के माध्यम से एकत्रित कर रिसाईकिल किया जा रहा है। जिसको नगर से बाहर भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। (संलग्नक–2)
4. प्रश्नगत अपशिष्ट निस्तारण स्थल पर नियमानुसार ठोस अपशिष्ट का उपचार एंव निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से न होने के कारण निस्तारण स्थल पर दुर्गन्ध थी तथा अपृथकीकृत ठोस अपशिष्ट जलता हुआ पाया गया। (संलग्नक–3)
5. निरीक्षण के समय नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल पर चाहर दीवारी तथा फैनसिंग आदि नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकार आवेदन को अस्वीकृत करते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित पूर्व आदेश मूल आवेदन सं0 606/2018 के क्रम में दिनांक 01.04.2020 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

चन्द्रबल्लभ जोशी
(अनु0सहायक)

आयुष नेगी
(वैज्ञा0सहा0)

<u>सहा0वैज्ञा0अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी</u>

कार्यालय उपजिलाधिकारी बागेश्वर
प्राप्ति संख्या 293 19/03/24

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ रिट/24 | 3192 - 1409 Dt- 13/03/24

सेवा में

उपजिलाधिकारी महोदया,
जिला–बागेश्वर

विषयः मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–55/2024 गोपाल चन्द्र बनवासी बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान खण्ड पीठ नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18.01.2024 के अनुपालन में जनपद–बागेश्वर अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा होटल नरेन्द्रा पैलेस बागेश्वर के संयुक्त निरीक्षण में दिनांक 07.02.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभाग किया गया है। अग्रेतर अवगत कराना है कि पूर्व में भी दिनांक 28.03.2022 को कार्यालय द्वारा नगर पालिका परिषद बागेश्वर का निरीक्षण किया गया है। नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 का अनुपालन न किये जाने की दशा में मा0 हरित अधिकरण में योजित पूर्व आदेश मूल आवेदन संख्या–606/2018 के क्रम में दिनांक 01.04.2020 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। (संलग्नक–01) होटल नरेन्द्रा पैलेस, बागेश्वर को जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1974 की धारा–25 एवं वायु जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत वॉछित प्रपत्रों के साथ संचालनार्थ सहमति हेतु आवेदन किये जाने हेतु दिनांक 27.01.2024 को पत्र प्रेषित किया गया है। (संलग्नक–02)

अतः प्राप्त आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करना चाहेंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(डॉ0 डी0के0जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

(56)

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ ई०ओ०डी०|24|2665-1167 Dt- 27/01/24

सेवा में,

सूची संलग्न,
पार्श्व में (कुल–36 होटल)

विषय– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1974 की धारा–25 एवं वायु जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत होवे कि होटल/रिजोर्ट के संचालन से पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण से जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1974 की धारा–25 एवं वायु जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति (Consent to Operate) प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इकाई द्वारा बिना संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये होटल का संचालन किया जा रहा है तथा वर्तमान तक बोर्ड की प्रचलित ऑनलाईन व्यवस्था में जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इकाई के संचालन हेतु सहमति एक वैधानिक अनिवार्यता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि होटल/इकाई के संचालन हेतु बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर ऑनलाईन आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें। सहमति हेतु आवेदन https://investuttarakhand.uk.gov.in/ के माध्यम से किया जाना होता है। उक्त समयावधि के अन्तर्गत होटल का ऑनलाईन आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय कर दी जायेगी। जिसका समपूर्ण उत्तदायित्व स्वंय उद्यमी का होगा।

भवदीय

(डॉ0 डी0के0जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

O/C
27/01/24

Scanned with CamScanner

S.No.	Name Of the Unit	Category	District	Address
1	TRH KAUSANI BAGESHWAR KMVN 263620	ORANGE	Bageshwar	KMVN TRH Kausani Bageshwar
2	Hotel Deep Palace	GREEN	Bageshwar	Vill Majiakhet Bageshwar
3	Hotel Siddhartha	GREEN	Bageshwar	Vill- Station Road Bageshwar Bageshwar
4	Hotel Vivek	GREEN	Bageshwar	Vill- Maziakhet Bageshwar Bageshwar
5	Hotel Annapurna	GREEN	Bageshwar	Vill- Ghatbagad Ward Bageshwar Bageshwar
6	Narendra Palace Bageshwar	GREEN	Bageshwar	Vill- Pindari Road Bageshwar Bageshwar
7	Hotel Harison	GREEN	Bageshwar	Vill- Bamsera Bharari Kapkot Bageshwar Bageshwar
8	Parihar Guest House	GREEN	Bageshwar	Vill- Kholi Bageshwar Bageshwar
9	SUN N SNOW INN	GREEN	Bageshwar	KAUSANI BAGESHWAR Bageshwar
10	TOURIST REST HOUSE BAIJNATH BAGESHWAR KMVN	GREEN	Bageshwar	KMVN TRH Baijnath Bageshwara
11	Hotel Shree Bagnath Palace	GREEN	Bageshwar	Vill- Ghatbagar ward Bageshwar Bageshwar
12	MANGAL PLACE MARRIAGE HALL	GREEN	Bageshwar	bageshwar
13	HOTEL BHAVISHYA INN	GREEN	Bageshwar	VILL- KHATHAYATBARA BAGESHWAR
14	Hotel Tapasya	GREEN	Bageshwar	Vill- Ghatbagad Ward Bageshwar Bageshwar
15	HOTEL PINDER INN	GREEN	Bageshwar	STATION ROAD BAGESHWAR Bageshwar
16	Hotel Rajdoot	GREEN	Bageshwar	Vill- Bagnath Ward Gali Bageshwar Bageshwar
17	TRH BAGESHWAR KMVN	GREEN	Bageshwar	TOURIST REST HOUSE TEHSIL ROAD BAGESHWAR 263642
18	Hotel Prashant	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
19	Hotel Himalaya Mount	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
20	Sumit Hotel	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
21	Amit Paying Guest	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
22	Deepraj Paying Guest	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
23	Hotel Negi Lodge	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
24	Hotel Hill Palace	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
25	Hotel Mistic Mountain	GREEN	Bageshwar	Kausani, Distt- Bageshwar
26	Bhramari Guest House	GREEN	Bageshwar	Garud, Distt- Bageshwar
27	Hotel Ashish	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
28	Hotel Ambika Palace	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
29	Hotel Sidharth	ORANGE	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
30	Hotel Neelashwar	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
31	Hotel Harsh Inn	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
32	Hotel Shivansh	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
33	Welcome Guest House	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
34	Radha Krishna Guest House	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
35	Hotel Pindar Inn	GREEN	Bageshwar	Bageshwar, Distt- Bageshwar
36	Bagnath Guest House	GREEN	Bageshwar	Mandalsera, Distt- Bageshwar

57

Scanned with CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)
UKPCB
Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

58

Ref: UKPCB/ROH/MSW/22/413-153 Dt 12/05/22

सेवा में,

पर्यावरण अभियन्ता,
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के प्राधिकार हेतु आवेदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक UKPCB/HO/MSW-18/1847 दिनांक 28.03.2022 के अनुपालन में कार्यालय द्वारा दिनांक 21.04.2022 को निरीक्षण किया गया है। आख्यानुसार नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा वर्तमान में नगरीय क्षेत्र से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट का भण्डारण/एकत्रण आरक्षित वन भूमि ग्राम– मालता दफौट मोटर मार्ग पर मालता नामक स्थान पर सड़क किनारे किया जा रहा है। निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर द्वारा ग्राम– पगना में राजस्व की भूमि निकाय के ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु हस्तान्तरण कर दी गयी है। जिसे शासन से भी अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा ई0आई0ए0 की कार्यवाही गतिमान है। प्रश्नगत अपशिष्ट निस्तारण स्थल पर नियमानुसार ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण उपचार एंव निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से न होने के कारण निस्तारण स्थल पर दुर्गन्ध थी तथा ठोस अपशिष्ट जलता हुआ पाया गया। (संलग्नक) उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः नगर पालिका परिषद बागेश्वर का प्राधिकार आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति करते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित पूर्व आदेश मूल आवेदन सं0 606/2018 के कम में दिनांक 01.04.2020 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c
11/5/22

Scanned with CamScanner

59

निरीक्षण आख्या

कृपया निर्देशानुसार बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एचओ/एमएसडब्लू–13/1847 दिनांक 28.03.2022 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के प्राधिकार हेतु आवेदन के संबंध में निकाय का निरीक्षण दिनांक 21.04.2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा निकाय प्रतिनिधि श्री रजत कुमार (प्र0 सफाई निरीक्षक) एवं श्री धीरज काण्डपाल (वर्क ऐजेंट) की उपस्थिति में किया गया। आख्या निम्नवत है:–

1. नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा वर्तमान में नगरीय क्षेत्र से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट का भण्डारण/एकत्रण आरक्षित वन भूमि ग्राम– मालता दफौट मोटर मार्ग पर मालता नामक स्थान पर सड़क किनारे किया जा रहा है। निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया के जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर द्वारा ग्राम– पगना में राजस्व की भूमि निकाय के ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु हस्तान्तरण कर दी गयी है। जिसे शासन से भी अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा ई0आई0ए0 की कार्यवाही गतिमान है। (संलग्नक–1)
2. नगर पालिका परिषद, बागेश्वर में 11 वार्ड है। जिसकी कुल जनसंख्या 25045 है। (2011 की जनगणना के अनुसार) तथा जनित जैविक व अजैविक कुल अपशिष्ट की मात्रा लगभग 7.5 टन /दिन है। निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा जनित ठोस अपशिष्ट को बिना पृथक्करण किये पूर्व निस्तारण स्थल (मालता) पर एकत्रित/भण्डारित किया जा रहा था।
3. निरीक्षण के दौरान अपशिष्ट भण्डारण स्थल पर जैविक ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कम्पोस्टिंग/वर्मी कम्पोस्टिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। इस संबंध नें निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद बागेश्वर, से जनित जैविक ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नगर सीमान्तर्गत वार्डो में निर्मित कम्पोस्ट पीट के माध्यम से कम्पोस्टिंग कर जैविक खाद तैयार की जा रही है तथा अजैविक ठोस अपशिष्ट को कॉम्पेक्टर के माध्यम से एकत्रित कर रिसाईकिल किया जा रहा है। जिसको नगर से बाहर भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। (संलग्नक–2)
4. प्रश्नगत अपशिष्ट निस्तारण स्थल पर नियमानुसार ठोस अपशिष्ट का उपचार एंव निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से न होने के कारण निस्तारण स्थल पर दुर्गन्ध थी तथा अपृथकीकृत ठोस अपशिष्ट जलता हुआ पाया गया। (संलग्नक–3)
5. निरीक्षण के समय नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल पर चाहर दीवारी तथा फैनसिंग आदि नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकार आवेदन को अस्वीकृत करते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित पूर्व आदेश मूल आवेदन सं0 606/2018 के कम में दिनांक 01.04.2020 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

चन्द्रबल्लभ जोशी
(अनु0सहायक)

आयुष नेगी
(वैज्ञा0सहा0)

सहा0वैज्ञा0अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with CamScanner

Item No. 01 | Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. [illegible]/2024

Gopal Chandra Vanwassi — Applicant

Versus

Uttarakhand Pollution Control Board — Respondent

Date of hearing: 18.01.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

ORDER

1. This original application is registered on the basis of the letter petition sent by one Gopal Chandra Vanwassi resident of village Ritha, Post Kandhar, Tehsil Garur, district Bageshwar with the allegation that the garbage collected from the municipal area of Bageshwar municipality is openly burnt and on account of burning of garbage, which includes Bio Medical Waste also, poisonous gases are polluting the air and affecting the residents and nearby animals and causing health hazard. It is alleged that inspite of the complaint, authorities have not taken any action. Further allegation of the applicant is that a commercial building by the name of Narendra Palace has been built as a hotel by encroaching upon Saryu River, affecting the natural flow of the river.

2. The letter petition raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. The grievance raised by the applicant needs to be first considered and remedial action is required to be taken by the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) as also District Magistrate, Bageshwar.

4. Hence, we require them to jointly carryout the inspection, ascertain the factual position on the spot and extent of violation of environmental norms and take remedial action.

5. Let the Joint Action Taken Report be submitted before the Registrar General of the tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, if found necessary the matter will be listed before the tribunal for consideration.

6. Original Application is accordingly disposed of.

7. A copy of this order, along with a copy of the petition, be forwarded to the Member Secretary, UKPCB and District Magistrate, Bageshwar by email for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 18, 2024
Original Application No. 55/2024
AS.